निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 67 / 2024
दायरा दिनांकः–17.12.2024
निर्णय दिनांकः– 14.5.25

उनवान

1. मुरलीधर आयु 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बाउडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 14.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि आराजी खाता संख्या 105 खसरा नं. 166 रकबा 2.8707 हैक्टेयर व खाता संख्या 106 खसरा नंबर 160 की रकबा 2.7696 वाके माल बाउड़ी खेड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में अवस्थित है जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न पेश है। उक्त खाता एवं खसरा नंबर की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम मुशीलाल पुत्र कान्हा अंकित है जो की प्रार्थी का एवं प्रार्थी के पिता का बोलता नाम है हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना गहनता से जांच किये बगैर प्रार्थी एवं उसके पिता का गांव में बोलता नाम मुंशीलाल पुत्र कान्हा प्रार्थी के पिता कन्हैयालाल उर्फ कान्हा के फौत होने पर दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल है। 3. उक्त वाद ग्रस्त आराजी के अलावा प्रार्थी के खातेदारी की अन्य भूमियात माल बमोरा तहसील छबड़ा मे खाता संख्या 288 खसरा नंबर 233 रकबा 2.0108 हैक्टेयर स्थित है उसमें प्रार्थी का शुद्ध नाम मुरलीधर अंकित है इसी तरह माल ग्राम बाउड़ीखेड़ा की खाता संख्या 2 व 3 की जमाबन्दी में भी प्रार्थी का शुद्ध नाम मुरलीधर अंकित है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजात में मुंशीलाल के स्थान पर मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल अंकित है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं पिता का अशुद्ध बोलता नाम मुंशीलाल पुत्र कान्हा अंकित होने से प्रार्थी समस्त सरकारी योजनाओं बैंक आदि की योजनाओं से वंचित हो रहा है इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि का विकास भी नहीं कर पा रहा है। उक्त वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम मुरलीधर पुत्र कन्हैया लाल के स्थान पर मुंशीलाल पुत्र कान्हा राजस्व कर्मचारियो हल्का पटवारी की लापरवाही से अंकित हुआ है जिसे शुद्ध कराने का प्रार्थी को वैधानिक अधिकार है। यदि प्रार्थी का उक्त खाते की जमाबंदीयो में शुद्ध नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अंकित नही हुआ तो प्रार्थी समस्त राजकीय लाभों से वंचित होता रहेगा एवं अपनी भूमि का विकास नहीं करा पायेगा इस कारण प्रार्थी का उक्त जमाबन्दीयो राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध सही नाम मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल अंकित होना अत्यंत आवश्यक है। उक्त आराजी माल बाउड़ी खेड़ा तहसील छबड़ा में अवस्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने एवं निस्तारित करने का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरियें सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा0मि0 है प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 106 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 105 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2 प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 38/21 धारा 136 एल0आर0एक्ट उनवान मुरलीधर बनाम सरकार आदेश दिनांक 14.12.2022 नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 288 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा खाता संख्या 26 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा 2045–48 खाता संख्या 22 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2041–44 खाता संख्या 24 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत 2036–39 खाता संख्या 14 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत 2032–35 खाता संख्या 14 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड पहचान पत्र जन आधार कार्ड विद्यालय का छात्र रजिस्टर पत्रक पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जो संयुक्त खातेदारी की एवं पैत्रक भूमि है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम मुरलीधर पुत्र कान्हा दर्ज है प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का बोलता नाम है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का वास्तविक नमा मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल हे उक्त विवादित आराजी के अलावा प्रार्थी के खातेदारी की अन्य भूमि ग्राम बमोरा में खाता संख्या 288 स्थित है जिसमें प्रार्थी का सही नाम मुरलीधर अंकित है तथा ग्राम बावडीखेडा के खाता संख्या 2 व 3 की जमाबन्दी में भी प्रार्थी का सही नाम मुरलीधर दर्ज है इसके अलावा खाता संख्या 105,106 में प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का नाम मुंशीलाल पुत्र कान्हा दर्ज है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है प्रार्थी के खाते की आराजी खाता संख्या 105,106 में मुंशीलाल पुत्र कान्हा के स्थान पर मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किया जावें।

तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बावडीखेडा के खाता संख्या 105, खसरा नम्बर 166 रकबा 2.8707 है0 खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 160 रकबा 2.7696 है0 भूमि में खातेदारी अमरलाल पुत्र कान्हा हिस्सा 76/1589 केला पुत्र कान्हा हिस्सा 76/1589 जगदीश पुत्र कान्हा हिस्सा 76/1589 पाना पत्नि कान्हा हिस्सा 76/1589 भावना पुत्र मूल्या हिस्सा 76/1589 मुंशी पुत्र कान्हा हिस्सा 76/1589 मोहनलाल पुत्र प्रभुलाल दत्तक पुत्र मथुरालाल हिस्सा 75/454 जाति ब्राहम्ण लोगा बाई पन्ति गंगाराम हिस्सा 57/227 जाति मीना श्यामलाल पुत्र प्रभुलाल दत्तक पुत्र मथुरालाल हिस्सा 74/454 सोहदा पुत्री कान्हा हिस्सा 76/1589 जाति ब्राहम्ण सा0देह रिकार्ड है। मज्में आम उपस्थित ग्राम वासियों से मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी बावडीखेडा के बारे में जानकारी ली गई तो उपस्थित ग्राम वासियो से पुछा की खाता

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

माबन्दी में मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल का नाम मुंशी पुत्र कान्हा है जो कि मुरलीधर का ही नाम है क्या तो उपस्थित ग्राम वासियों व सह खातेदारान द्वारा बताया कि मुंशी को मुरलीधर के नाम से ही जाना जाता है आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मुंशी पुत्र कन्हा का नाम मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल हे मुंशी पुत्र कान्हा व मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति के है मुंशी व मुरलीधर एक ही व्यक्ति है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 105,106 में प्रार्थी का नाम मुंशीलाल पुत्र कान्हा दर्ज हे नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2 एवं ग्राम बमोरा के खाता संख्या 288 में मुंशीलाल उर्फ मुरलीधर पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का खाता संख्या 105 व 106 में गलत नाम मुंशी पुत्र कान्हा दर्ज है अन्य जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम सही नाम मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 105,106 में अपना नाम मुंशी पुत्र कान्हा के स्थान पर मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेजों व तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 160 रकबा 2.7696 है0 खसरा नम्बर 166 रकबा 2.8707 है0 में प्रार्थी का नाम मुंशी, मुंशीलाल पुत्र कान्हा के स्थान पर मुंशीलाल उर्फ मुरलीधर पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा